रजिस्ट्री सं० डी-(डी)-72 REGISTERED No. D-(D)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड—3 उपखण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 349] नई दिल्ली, शुक्रवार, अगस्त 9, 1974/श्रावण 18, 1896

No. 349] NEW DELHI, FRIDAY, AUGUST 9, 1974/SRAVANA 18, 1896

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

MINISTRY OF COMMERCE

ORDER

EXPORT TRADE CONTROL

New Delhi, the 9th August 1974

S.O. 486(E).—In exercise of the powers conferred by section 3 of the Imports & Exports (Control) Act, 1947 (18 of 1947), the Central Government hereby makes the following order further to amend the Exports (Control) Order, 1968, namely:—

1. (1) This Order may be called the Exports (Control twentyfirst) Amendment Order, 1974.

(2) It shall come into force at once.

2. In clause 2 of the Exports (Control) Order, 1968 (hereinafter referred to as the said Order),—

(i) after item (b), the following item shall be inserted, namely:—

'(bb) "Collector of Customs" has the same meaning assigned to it in the Customs Act, 1962 (52 of 1962);';

(ii) after item (e), the following item shall be inserted, namely:—

'(ee) "London price" means the official price of silver fixed by the London brokers under the rules of the London Silver Market;';

(ii) after clause (f) the following clause shall be inserted, namely:—

'(ff) "Silver" means silver or other products of silver as specified in item 12 of Part B of Schedule I.';.

3. After clause 3 of the said Order, the following clause shall be inserted, namely:—

"3A. *Special provisions regarding export of silver.*—No person shall be granted a licence under this Order for the export of silver unless,—

(a) (i) on an application made by that person in accordance with the procedure specified in items (ii) and (iii), the export contract (whether entered into in writing or Orally) is registered with the Collector of Customs immediately after such contract is entered into;

(ii) an application for registration under item (i) shall be made in duplicate and shall contain particulars regarding quantity and purity of silver, value per kilogram, date of the export contract, delivery period and the name of the foreign buyer;

(iii) on receipt of such application, one copy thereof shall, after it is duly registered by an officer authorised by the Collector of Customs in this behalf, be returned to the person who makes the application as evidence of registration;

(b) the value of the silver agreed to be exported is not less than the London price fixed on the working day previous to the date on which the application under sub-clause (a) is made, as reduced by fifty rupees per kilogram;

(c) the date of shipment stipulated under the terms of the export contract falls within ten days of the date of the contract; and

(d) has exported silver in terms of all previous applications under sub-clause (a) except in a case where he establishes to the satisfaction of the Collector of Customs that he failed to do so because of circumstances beyond his control.".

[No. E(C)/O, 1968/AM(134)]

B. D. KUMAR,
Chief Controller of Imports and Exports

वाणिज्य मंत्रालय

आदेश

निर्यात व्यापार नियंत्रण

नई दिल्ली, 9 अगस्त, 1974

का० आ० 486 (अ).—आयात तथा निर्यात (नियंत्रण) अधिनियम, 1947 (1947 के 18) में प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग कर केन्द्रीय सरकार निर्यात (नियंत्रण) आदेश, 1968 में और आगे संशोधन करने के लिए एतद्द्वारा निम्नलिखित आदेश का निर्माण करती है, अर्थात्:—

1. (1) इस आदेश को निर्यात (नियंत्रण) 21वां आदेश की संज्ञा दी जाए ।

(2) यह तत्क्षण ही लागू होगा ।

2. निर्यात (नियंत्रण) आदेश, 1968 की धारा 2 में:—

(1) मद (बी) के बाद निम्नलिखित मद को शामिल किया जाएगा अर्थात्:—

'(बी बी)' 'सीमा शुल्क समाहर्ता' का वही मतलब है जैसा कि सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) में निर्दिष्ट है',

(2) मद (ई) के बाद निम्नलिखित मद को शामिल किया जाएगा, अर्थात्:--

'(ई ई) "लन्दन कीमत" का मतलब लन्दन रजत बाजार के नियमों के अन्तर्गत लन्दन के दलालों द्वारा निर्धारित रजत की सरकारी कीमत है;

(3) धारा (एफ) के बाद निम्नलिखित धारा को शामिल किया जाएगा, अर्थात्:--

'(एफ एफ) "रजत" का मतलब अनुसूची बी के भाग-1 की मद 12 में विशिष्टिकृत किए गए के अनुसार रजत या रजत का अन्य उत्पाद है;

3. उक्त आदेश की धारा 3 के बाद निम्नलिखित धारा को शामिल किया जाएगा, अर्थात्:--

"3ए. रजत के निर्यात के संबंध में विशेष व्यवस्था.--इस आदेश के अन्तर्गत रजत के निर्यात की स्वीकृति किसी भी व्यक्ति को तब तक नहीं दी जाएगी जब तक कि:--

(ए) (1) मद (2) और (3) में विशिष्टिकृत प्रक्रिया के अनुसार उस व्यक्ति द्वारा आवेदन किए जाने पर, निर्यात संविदा (चाहे वह लिखित रूप में तय हो या जबानी) इस संविदा के तय होने के बाद शीघ्र ही सीमाशुल्क समाहर्ता के पास पंजीकृत हो,

(2) मद (1) के अन्तर्गत पंजीकरण के लिए आवेदन पत्र दो प्रतियों में किए जाएंगे और उनमें रजत की मात्रा तथा शुद्धता, प्रति किलो मूल्य, निर्यात संविदा की तारीख, माल छुड़ाने की अवधि और विदेशी खरीददार के नाम के संबंध में विवरण शामिल होंगे,

(3) ऐसा आवेदन पत्र प्राप्त होने पर, उसकी एक प्रति सीमाशुल्क समाहर्ता द्वारा इस संबंध में प्राधिकृत अधिकारी द्वारा विधिवत् पंजीकृत करने के बाद उस व्यक्ति को लौटा दी जाएगी जो पंजीकरण के साक्ष्य के रूप में आवेदन पत्र भेजता है,

(बी) सहमत निर्यात किए जाने वाले रजत का मूल्य उप-धारा (ए) के अन्तर्गत जिस तिथि को आवेदन किया जाता है, उससे पूर्व के कार्य दिवस को नियत की गई लन्दन कीमत से कम नहीं होता है जो कि प्रति किलोग्राम पचास रुपए घटा दी गई है,

(सी) निर्यात संविदा की शर्तें के अन्तर्गत पोतलदान की निर्धारित तिथि, संविदा करने की तिथि से 10 दिनों के भीतर पड़ती है, और

(डी) उसने उप-धारा (ए) के अन्तर्गत सभी पूर्व आवेदनपत्रों के अनुसार रजत का निर्यात कर दिया है, किन्तु उन मामलों को छोड़कर जिन में वह सीमाशुल्क समाहर्ता की तुष्टि के लिए यह सिद्ध कर देता है कि उसकी क्षमता से बाहर परिस्थितियों के कारण वह ऐसा करने में असफल रहा'।

[सं० ई०(सी०) ओ०, 1968/ए०एम०(134)]

बी०डी० कुमार,
मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात ।

PRINTED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1974